राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–5111121, 5192253, 5192251, E-mail: aspdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प/जय/फा.–33301/2014–15/ 10974 दिनांकः 19/3 /2015

शासन सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 12.03.15 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 14वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2015 का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राज.), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
11. निजी सहायक, निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक संस्कृत शिक्षा, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
18. नियंत्रक वित्त, रामाशिप., जयपुर।
19. अधिशाषी अभियंता, रामाशिप., जयपुर।
20. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त, रामाशिप., जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करें।
21. एम.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
22. कार्यालय प्रति।

(श्याम लाल गुर्जर) 19/3/15
अतिरिक्त आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

RCSE

निष्पादक समिति की 14वीं बैठक

कार्यवृत–विवरण

दिनांक–12 मार्च, 2015

पढ़े चलो, बढ़े चलो

RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

डॉ० एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017, दूरभाष: 0141–5192255

निष्पादक समिति की 14वीं बैठक के लिए का एजेण्डा

12.03.2015 को आयोजित होने वाली निष्पादक समिति की 14वीं बैठक का एजेण्डा निम्नलिखित अनुसार है :–

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या–1 निष्पादक समिति की दिनांक 28.11.2014 को आयोजित तेहरवीं बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अवलोकन एवं अनुमोदन :–** दिनांक 28.11.2014 को आयोजित निष्पादक समिति की तेहरवीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण **(परिशिष्ट 1)** में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या–2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक योजना 2015–16 का अनुमोदन :–** मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिषद के सभी शाखा प्रभारी अधिकारी एवं समस्त जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा तैयार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना, जिसका संक्षेप परिशिष्ट–2 पर संलग्न है, अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3	**प्रस्ताव संख्या–3 परिषद में सनदी अंकेक्षण हेतु मै. जैठानी एण्ड एसोसिएट का अनुबंध एक वर्ष बढ़ाये जाने हेतु :–** मै. जैठानी एण्ड एसोसिएट को वर्ष 2013–14 की सनदी अंकेक्षण हेतु दिनांक 12.06.2014 को अनुबन्ध किया गया था उक्त अनुबन्ध की शर्त संख्या–8 के अनुसार संतोषप्रद सेवा होने पर पारस्परिक सहमति से अनुबन्ध की अवधि में अभिवृद्धि की जा सकती है। Mannual for Financial Management and Procurement for RMSA के अनुच्छेद 7.1.9 **(परिशिष्ट 3)** के अनुसार एक ही सी.ए. फर्म को तीन साल तक की अवधि तक सनदी अंकेक्षण का कार्य किया जा सकता है। मै. जैठानी एण्ड एसोसिएट द्वारा सनदी अंकेक्षण से सम्बन्धित कार्य व समय–समय पर भारत सरकार से प्राप्त पत्रों के क्रम में अंकेक्षण रिपोर्ट में वांछित सुधार कर रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करवाई गई तथा परिषद के अधिकारियों के साथ भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में जाकर अंकेक्षण से सम्बन्धित चर्चा की गई व वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध करवाई गई। अतः मै. जैठानी एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा एवं सहयोग के परिप्रेक्ष्य में अनुबन्ध की शर्त द्वारा 8 के तहत परिषद में सनदी अंकेक्षण हेतु मै. जैठानी एण्ड एसोसिएट के अनुबन्ध की अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	परिषद में सनदी अंकेक्षण हेतु मै. जैठानी एण्ड एसोसिएट का अनुबंध पूर्व दर व शर्तों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया।

4	**प्रस्ताव संख्या–4 सिविल कार्यो के अन्तर्गत अभियांत्रिकी शाखा हेतु आरक्षित आकस्मिक व्यय मद (Contingency) में 3 प्रतिशत एवं क्वालिटी कन्ट्रोल मद की 1 प्रतिशत राशि से सेवा प्रदाता एजेन्सी से 18,000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय व 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर राज्य मुख्यालय हेतु 2 सिविल कन्सलटेंट लिये जाने हेतु :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जा रहे सिविल कार्यो की मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन, क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु 3 प्रतिशत राशि आकस्मिक व्यय हेतु तथा 1 प्रतिशत राशि क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निष्पादक समिति 9वीं बैठक में आरक्षित की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य मुख्यालय पर 2 कनिष्ठ अभियंताओं के पद स्वीकृत है। इन पदों पर कनिष्ठ अभियंता अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का प्रावधान है, परन्तु अन्य विभागों से कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस कारण इन कनिष्ठ अभियंताओं के पदों के विरूद्व सिविल/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक/डिप्लोमाधारी 2 सिविल कन्सलटेन्ट की सेवाएँ सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से पूर्णतः अस्थायी आधार पर कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध होने तक रूपये 18,000/– प्रतिमाह मानदेय तथा 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर लिया जाना प्रस्तावित है। ये सिविल कन्सलटेंट भविष्य में परिषद के लिए किसी भी प्रकार का भार नहीं होगा। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5	**प्रस्ताव संख्या–5 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से राज्य के ब्लॉक मकराना (नागौर) तथा नगर (भरतपुर) में माध्यमिक विद्यालयों में करवाये जा रहे अतिरिक्त कक्षा–कक्षो के निर्माण हेतु एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) नहीं लिये जाने हेतु :–** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से राज्य के ब्लॉक मकराना (नागौर) तथा नगर (भरतपुर) में माध्यमिक विद्यालयों में करवाये जा रहे अतिरिक्त कक्षा–कक्षो के निर्माण हेतु एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) नहीं लिये जाना प्रस्तावित है। ये कार्य शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही करवाये जा रहे है, इससे विद्यालयों का संरचनात्मक ढांचा सुदृढ हो सकेगा। विद्यालयो में बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से भी निर्माण कार्य करवाये जा रहे है। उनके द्वारा इस योजना अन्तर्गत विद्यालयो में करवाये जा रहें निर्माण कार्यो के लिए एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) वसूल नहीं किया जा रहा है। इसी अनुरूप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से विद्यालयों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाये जा रहे अतिरिक्त कक्षा–कक्ष आदि निर्माण कार्य हेतु एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) नहीं लिया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

<table>
<tr>
<td>6</td>
<td><u>प्रस्ताव संख्या–6 भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करवाये जाने वाले पुस्तकालय आदि निर्माण कार्यो के लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) लिये जाने हेतु :–</u>
भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करवाये जाने वाले पुस्तकालय आदि निर्माण कार्यो के लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) लिया जाना प्रस्तावित है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के विद्यालयो में निर्माण कार्य राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से भी करवाये जा रहे है। उनके द्वारा इनके लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) वसूल किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से विद्यालयों में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के करवाये जाने वाले पुस्तकालय आदि निर्माण कार्यो के लिए 5 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज (प्रोरेटा चार्ज) लिया जाना प्रस्तावित है।
प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td>
<td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><u>प्रस्ताव संख्या–7 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्थाप्रधानों को मोबाईल सुविधा के पुनर्भरण हेतु :–</u>
राज्य में सत्र 2015–16 में 71 मॉडल स्कूल संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें से 66 मॉडल स्कूल सत्र 2014–15 से ही संचालित है। इन समस्त 71 मॉडल स्कूलों के संस्थाप्रधानों को मोबाईल सुविधा के रूप में 500 रू. प्रतिमाह का पुर्नभरण किये जाने का प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने पर प्रति जिला 426000/– रु. प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td>
<td>प्रकरण पत्रावली पर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जावें।</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><u>प्रस्ताव–8 परिषद् के राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को परिषद् द्वारा टेलीफोन/मोबाईल व्यय का भुगतान किए जाने हेतु :–</u>
परिषद् के राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जिनको वर्तमान में परिषद् द्वारा टेलीफोन/मोबाईल व्यय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनके लिए निम्नलिखित अनुसार टेलीफोन/मोबाईल (पोस्ट पेड) व्यय का भुगतान परिषद् द्वारा किए जाने बाबत् प्रस्ताव अनुसार निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–
परिषद् के राज्य कार्यालय हेतु :–
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नाम अधिकारी/कर्मचारी</th><th>संख्या</th><th>प्रस्तावित राशि प्रतिमाह (Rs)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>केशियर</td><td>1</td><td>500/–</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एम.आई.एस. प्रभारी</td><td>1</td><td>500/–</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>निजी सहायक</td><td>3</td><td>500/–</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कनिष्ठ लेखाकार (नियमित)</td><td>2</td><td>500/–</td></tr>
</table>
</td>
<td>निम्नलिखित अनुसार भुगतान का अनुमोदन किया गया :–
परिषद् के राज्य कार्यालय हेतु :–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पदनाम कर्मचारी</th><th>संख्या</th><th>राशि प्रति माह (Rs)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एम.आई.एस. प्रभारी</td><td>1</td><td>500/–</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निजी सहायक</td><td>3</td><td>500/–</td></tr>
</table>
परिषद् के जिला कार्यालय हेतु :–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पदनाम अधिकारी</th><th>संख्या</th><th>राशि प्रति माह (Rs)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक</td><td>33</td><td>750/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कार्यक्रम अधिकारी</td><td>99</td><td>500/–</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन किए जाने पर एक वर्ष में 42000/– रु. का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

परिषद् के जिला कार्यालय हेतु :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	संख्या	प्रस्तावित राशि प्रतिमाह (Rs)
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	33	750/–
2	कार्यक्रम अधिकारी	99	700/–

उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन किए जानेपर एक वर्ष में 1128600/– रु. का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

9

प्रस्ताव–9 परिषद के राज्य व जिला कार्यालय में अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा (मेन विद मशीन) की स्वीकृति हेतु :–

वर्तमान में परिषद के राज्य कार्यालय में चौदह कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा प्लेसमेन्ट एजेन्सी से ली जा रही हैं तथा दो कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा मैन विद मशीन की और आवश्यकता है, अतः परिषद के राज्य कार्यालय में प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से दो अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा (मेन विद मशीन) ली जानी प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने पर एक वर्ष में लगभग राशि रु. 216,000/– का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

परिषद के जिला कार्यालयों में वर्तमान में प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक लेखाधिकारी, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता के लिए ली जा रही है। लगभग सभी जिलों में 3–3 कार्यक्रम अधिकारियों का पदस्थापन किया गया हैं, जिनको कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा मैन विद मशीन की आवश्यकता है। अतः परिषद के जिला कार्यालयों में तीन–तीन अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा मैन विद मशीन की स्वीकृति दी जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने पर प्रति जिला 288000/– रु. प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

उक्त सेवा के शुल्क के अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं सेवा कर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर परिषद द्वारा पृथक से देय होगा।

प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राज्य व जिला कार्यालयों के लिए दो–दो कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा (मेन विद मशीन) की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

<table>
<tr>
<td>10</td>
<td><u>प्रस्ताव–10 परिषद के राज्य कार्यालय में दो सुरक्षा कर्मी/स्वयं सेवक (होमगार्ड) की सेवा लेने की स्वीकृति हेतु :–</u>
दिनांक 28.11.2014 को निष्पादक समिति की 13वीं बैठक में परिषद के राज्य कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर दो यूनिट सुरक्षाकर्मी सेवा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व में परिषद का राज्य कार्यालय एक भवन में संचालित था तथा वर्तमान में यह दो भवनों (ब्लॉक–6 तथा स्टेट ओपन स्कूल) में संचालित है। अतः नवीन भवन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर दो सुरक्षाकर्मी/स्वयं सेवक/सेवानिवृत पूर्व सैनिक या होमगार्ड की सेवा लिए जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td>
<td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सेवा रेक्सको (Rexco) अथवा होमगार्ड हेतु सिविल डिफेन्स के माध्यम से ली जावें।</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td><u>प्रस्ताव–11 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के राज्य/जिला कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों को सवारी भत्ता प्रदान करने के सम्बन्ध में :–</u>
वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर मुख्यालय पर कार्यरत कार्मिकों को सवारी भत्ता देय नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अधिकारियों को सवारी भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति बाबत निम्नलिखित अनुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है :–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अधिकारी का पदनाम</th><th>संख्या</th><th>सवारी भत्ता</th><th>वार्षिक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उपनिदेशक (प्रधानाचार्य, राउमावि. समकक्ष) –राज्य कार्यालय</td><td>05</td><td>900/– रू. प्रतिमाह</td><td>54000/– रु</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सहायक निदेशक (प्रधानाध्यापक, रामावि./व्याख्याता राउमावि. समकक्ष) –राज्य कार्यालय</td><td>10</td><td>750/– रू. प्रतिमाह</td><td>90000/– रु.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सहायक लेखाधिकारी –राज्य कार्यालय</td><td>02</td><td>750/– रू. प्रतिमाह</td><td>18000/– रु.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सहायक अभियंता –राज्य कार्यालय</td><td>02</td><td>750/– रू. प्रतिमाह</td><td>18000/– रु.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>कार्यक्रम अधिकारी (व्याख्याता राउमावि./वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष) –जिला कार्यालय</td><td>99</td><td>700/– रू. प्रतिमाह</td><td>831600/–रु.</td></tr>
</table>
उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने पर प्रति जिला 1011600/– रु. प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।</td>
<td>राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सर्व शिक्षा अभियान) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान हेतु अनुमोदन किया गया।</td>
</tr>
</table>

12 **प्रस्ताव–12 परिषद के राज्य कार्यालय में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) प्रकोष्ठ की स्थापना :–**

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 24.12.2014 **(परिशिष्ट 4)** द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के संदर्भ में पी.पी.पी. परियोजना के चिह्नीकरण एवं निजी निवेशकों के चयन के सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया संपादित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति (Bid Process Committee) का गठन किया जाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में पी.पी.पी. प्रकोष्ठ के गठन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। दूसरे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में 70 विद्यालयों में वोकेशनल एज्यूकेशन का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सत्र 2015–16 में 700 विद्यालयों में वोकेशनल एज्यूकेशन पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त दोनों कार्यों हेतु परिषद में पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

क्र.सं.	नाम पद	योग्यता	संख्या
1.	उपनिदेशक	प्रधानाचार्य, राउमावि., समकक्ष अधिकारी	1
2.	सहायक निदेशक	व्याख्याता, राउमावि./ प्रधानाध्यापक, रामावि., समकक्ष अधिकारी	1
3.	लिपिक	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	1
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	2

प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रकरण पत्रावली पर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

13 **प्रस्ताव–13 परिषद के राज्य कार्यालय के लिए दो वाहन स्विफ्ट डिजायर कार क्रय किए जाने हेतुः–**

परिषद के राज्य कार्यालय में पाँच वाहन (कार) स्वीकृत हैं जो कि मासिक उपयोग के आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित दर पर निविदा द्वारा किराए पर लिये जा रहे हैं। सेवा प्रदाता की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं होने के कारण परिषद द्वारा बार बार निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त भी मात्र एक निविदादाता द्वारा जो कि वर्तमान में सेवारत है, द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तथा अन्य दूसरी फर्म/व्यक्ति द्वारा किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं की जाती है जिससे एक ही व्यक्ति/फर्म की मोनोपॉली (एकाधिकार) रहने से वह संतोषप्रद सेवा नहीं देता है एवं उसके द्वारा राजकीय अवकाश के दिन भी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जिससे राजकार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

उक्त परिस्थितियों के कारण परिषद के राज्य कार्यालय में कार्यरत अधिकारीगण तथा आयुक्त के उपयोग हेतु दो वाहन स्विफ्ट डिजायर कार क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इन वाहनों के चालक हेतु शिक्षा विभाग की कन्डम गाड़ियों के ड्राईवर उपलब्ध है, अतः अलग से अतिरिक्त ड्राईवरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रकरण पत्रावली पर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक: रा.मा.शि.प / जय / फा–33301 / 2014–15 /

दिनांक: / /2015

निष्पादक समिति की 14वीं बैठक दिनांक 12.03.2015

शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का उपस्थिति पत्रक

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय
1	श्री नरेश पाल गंगवार	शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	
2	श्री विश्व मोहन शर्मा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3	श्री सुवालाल	निदेशक	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
4	श्री श्याम लाल गुर्जर	अतिरिक्त आयुक्त	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
5	श्री एच.एम. मीणा	अतिरिक्त आयुक्त	राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
6	श्री भवानी सिंह मीणा	नियंत्रक (वित्त)	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
7	ज्योति लुहाड़िया	ए.सी.पी. (उपनिदेशक)	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
8	डॉ. कमलिनी द्रविड़	कार्यक्रम निदेशक	महिला सशक्तिकरण, राजस्थान सरकार, जयपुर
9	दीप्ति कछवाहा	अतिरिक्त निदेशक	साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
10	श्रीमती रश्मि भार्गव	प्रधानाचार्या	एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
11	श्री शंकर लाल जांगिड़	सहायक निदेशक	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
12	श्री रामगोपाल वर्मा	सहायक सचिव	राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
13	श्रीमती ममता दाधीच	उपायुक्त	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
14	श्री रिछपाल सिंह	अधिशाषी अभियन्ता,	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
15	डॉ. रचना शर्मा	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
16	श्रीमती आशा गुप्ता	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
17	श्री मुकेश जैमन	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
18	डॉ. गोविन्द सिंह	उपनिदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
19	डॉ. गोविन्द राम शर्मा	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
20	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
21	डॉ. बालेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
22	श्री विक्रम सिंह	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
23	श्री नादान सिंह	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
24	श्री वीर सिंह मीणा	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
25	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
26	श्रीमती अनुसूया गुप्ता	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
27	श्रीमती शिखा सोनी	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
28	डॉ. विजय लाल बैरवा	सहायक निदेशक	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर

RMSA - Annual work Plan - 2015-16

India Welcome, RAJASTHAN

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

- Home
- Progress
- Reports
- AWP & B
- Download

- Logout

Enter Proposal For Annual Work Plan and Budget

Please Select the Following Details.

Proposal Year : 2015-2016

RAJASTHAN

Expenditure of March (Rs. in Lakh)

Recurring : 17730.95 Non-Recurring : 111762.54

(A) Non-Recurring Components

(Rs. in Lakh)

	Items	Proposed Unit	Financial Unit/Total
1	New Schools :	160	13036.80
2	Strengthining of Existing School :	2079	93040.42
3	Teachers Quarter:	0	0
4	Major Repair:	1666	3363.55
5	Girls Hostel:	186	5854.49
6	ICT :	7068	46105.20
7	VE:	770	26873.70
8	Support to State Institution:	0	0
9	Equipments and Strenghthninh of Block Resource Centre for CWSN:	249	2781.33
10	Others:	0	0
	Sub Total		191055.49

(B) Recurring Components

(Rs. in Lakh)

	Components	Proposed Unit	Total Financial
8	Teacher Related		
8.1	Teachers for School (RMSA):	16138	58224.80
8.2	Non Teaching Staff Under RMSA:	4827	15929.10
8.3	Flexible Pool for Engaging Resource Person for VE:	770	5582.50
8.4	Teacher Training (RMSA):	40282	943.98
8.5	Teacher Training Under VE :	0	0
9	School Based Support		
9.1	School Grant:	15208	14977
9.2	Recurring Support for ICT:	6500	10338
9.3	Recurring Support for VE:	42000	540.75
9.4	Minor Repair:	12637	3159.25
10	Recurring Grant for GH:	33242	3136.55
11	Support for CWSN:	10127	1012.65
12	Community Mobisation:	28000	168
13	Improvement in Learning Level (	357316	2261
14	Operation Garima	100460	192
15			

RMSA Annual Work Plan 2015-16.

	Education 2 Employability	14474	170.09
16	Guidance and Counselling	71	61.50
17	Kala Utsav	136	54.40
18	Life Skill Education	25542	22.41
19	Enter Your Project Name	0	0
20	Enter Your Project Name	0	0
21	Enter Your Project Name	0	0
22	Enter Your Project Name	0	0
23	MMER:		10774.03
	Total Recurring		127548.01
	GRAND Total:		318603.50

Update Cancel

Copyright @ Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, All right reserved 2014

Designed and Developed by RMSA-TSG